

कार्यालय अधिष्ठाता, एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी

गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक / स्था.अराज / 2021

ग्वालियर दिनांक 12/15/2021

15320

// विज्ञप्ति सूचना //

// समस्त नर्सिंग महाविद्यालय/स्कूल से उत्तीर्ण उम्मीदवार, स्टॉफ नर्स के लिये //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55, भोपाल दिनांक 17.11.2020 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक 1554-63/स्था. /अराज/2020, भोपाल दिनांक 19.11.2020 के परिपालन में गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह, एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्वालियर में स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय/मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालय/स्कूल एवं अन्य संस्थाओं से बी.एस.सी.नर्सिंग/जी.एन.एम. उत्तीर्ण उम्मीदवारों से एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अधीन ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

01. (अ) सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नवीन राज्य स्तरीय आरक्षण मॉडल रोस्टर के अनुसार वर्गीकरण :-

आरक्षण अनुसार वर्गीकरण									
क्र	पदनाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	वेतनमान लेवल	न्यूनतम अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10
1	स्टॉफ नर्स (केवल महिला)	81	16 (02 PD, 03 SN) कुल=21	14 (01 PD, 02 SN) कुल=17	09 (01 PD, 02 SN) कुल=12	14 (02 PD, 03 SN) कुल=19	10 (01 PD, 01 SN) कुल=12	लेबल 07 (28700-91300)	01. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 02. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 03. मध्यप्रदेश नर्सिंग काँसिल का जीवित पंजीयन।

:- रिक्त पदों की संख्या संवर्ग में घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

01) गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर एवं संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में स्टाफ नर्स के ल स्वीकृत पदों पर नवीन राज्य स्तरीय आरक्षण मॉडल रोस्टर लगाने के उपरांत, पूर्व में कार्यरत स्टाफ नर्सों का मायोजन उपरांत, श्रेणी अनुसार रिक्त पदों का वर्गीकरण :-

आरक्षण अनुसार वर्गीकरण									
क्र	पदनाम	रिक्त पद	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	वेतनमान लेवल	न्यूनतम अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10
1	स्टॉफ नर्स (केवल महिला)	157	00	54 (07 PD, 12 SN) कुल=73	00 (02 PD, 02 SN) कुल=04	42 (10 PD, 16 SN) कुल=68	09 (01 PD, 02 SN) कुल=12	लेबल 07 (28700-91300)	01. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 02. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 03. मध्यप्रदेश नर्सिंग काँसिल का जीवित पंजीयन।

:- रिक्त पदों की संख्या संवर्ग में घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

को भूतपूर्व सैनिक एवं PD को दिव्यांग के रूप में दर्शाया गया है। उपरोक्त (अ) एवं (ब) के रिक्त स्टाफ नर्सों के पदों पर दन करने हेतु प्राथमिकता दर्ज कराया जाना अनिवार्य है। अर्थात् आवेदक एक अथवा दोनों में आवेदन हेतु स्वतंत्र होगा। मिकता के आधार पर मेरिट सूची (अ) एवं (ब) की पृथक-पृथक तैयार की जावेगी।

02.. वेतनमान एवं अन्य भत्ते :-

01. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक, भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के परिपालन में परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

03.. आरक्षण :-

01. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
02. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
03. आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जावेगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
04. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक(पार्ट), भोपाल दिनांक 03 जुलाई 2018 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में 06 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होने के कारण जारी विज्ञापन में दिव्यांग हेतु 06 प्रतिशत पद आरक्षित रखे गये हैं।
05. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को निःशक्ता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मोडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
06. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 22 सितम्बर 2012 द्वारा भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के संबंध सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.04.1999 द्वारा संशोधित करते हुये किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की रिक्तियों में 20 प्रतिशत "होरिजेण्टल" (प्रवर्गवार) आरक्षण का प्रावधान होने के कारण जारी विज्ञापन में भूतपूर्व सैनिक हेतु तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी 20 प्रतिशत के अनुसार कुल रिक्तियों पर पद आरक्षित रखे गये हैं।
07. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई, 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जारी विज्ञापित में किया गया है।
08. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-22/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 30 मई 2019 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) के लिए किए गए विशेष प्रावधान के पालन में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, मिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहरिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जावेगी। (आवेदन का प्रारूप संलग्न है तथा उक्त उम्मीदवार सीधे संस्था को आवेदन पत्र पर अपना आवेदन प्रस्तुत करें।)

04.. ओवदन शुल्क:-

अनारक्षित श्रेणी हेतु 1200/- (बारह सौ रुपये) एवं आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर) एवं निःशक्ताजन उम्मीदवारों के लिए 1000/- (एक हजार रुपये) निर्धारित किये जाते हैं।

05.. आयु सीमा:-

अधिकतम आयु म0प्र0 शासन के नियमानुसार होगी। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में छूट म0प्र0 शासन के नियमानुसार होगी। समस्त पदों के लिये न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष ताकि अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वशासी में कार्यरत शासकीय सेवाकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे।

06.. सामान्य शर्तों:-

01. यह नियुक्ति "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018" के अधीन होगी।